

20

// कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) //

प्रारूप - पांच

(नियम-12 देखिये)
कालोनी के विकास की अनुमति

तारीख 12/10/2012

अनुमति क्रमांक 01/2012-13

छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1999) और उसके अन्तर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1999 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए :-

नाम : मे० हर्षित सिंघानिया बिल्डकान भागीदार सिंघानिया बिल्डकान प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर सुबोध सिंघानिया पिता एस.एल.सिंघानिया

निवासी : श्याम चेम्बर हिरापुर रोड़ रायपुर छ०ग०

मोहल्ला :

ग्राम/वार्ड : अमलेश्वर

नगर/ग्राम पंचायत : अमलेश्वर

तहसील : पाटन

जिला : दुर्ग को ग्राम अमलेश्वर प०ह०नं० 05 पाटन जिला-दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं० 208, 212, 213, 215, 216 रकबा क्रमशः 0.840, 2.010, 2.960, 1.000, 1.000 हे० कुल रकबा 7.810 हे० मे० हर्षित सिंघानिया बिल्डकान भागीदार सिंघानिया बिल्डकान प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर सुबोध सिंघानिया पिता एस.एल.सिंघानिया निवासी श्याम चेम्बर हिरापुर रोड़ रायपुर छ०ग० को ग्राम अमलेश्वर में स्थित आवासीय कालोनी के विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा।
2. छ०ग० भू-राजस्व संहिता में कथित भू-व्यपवर्तन शर्तों का पालन करना होगा।
3. छ०ग० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भूखण्डों/भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा।
5. छ०ग० ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1999 के नियम 12 में दिये निर्देश तथा शर्तों का पालन आवेदक को करना होगा।



स्थान :- पाटन

दिनांक 12/10/12

Harshit Singhania Buildcon

Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

(Partner) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)

सक्षम प्राधिकारी
पाटन जिला दुर्ग